

अधिशाली अभियन्ता
हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला, नई दिल्ली-25।

प्रेषित,

The Project Director,
CMU-Mathura(at Faridabad)
National Highway Authority Of India
Faridabad, Haryana-121003
Email-mat@nhai.org

पत्रांक : 4051 / हेडवर्क्स /

दिनांक 04/11/2022

विषय :- Construction of Greenfield Connectivity to Jewar Internation Airport from DND-Faridabad-Ballabhgarh
Bypass KMP Link-Spur to Delhi Mumbai Expressway reg. Approval of GAD for proposed bridge crossing
Agra Canal(At Ch. Km. 1+500)

संदर्भ :- आपका पत्रांक NHAI/CMU/MTR/Jewar/F-17(UPID)/D-68014 dt. 02-11-2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा 06 लेन हाईवे निर्माण हेतु आगरा नहर के किमी 0
30.200 (NHA Ch. 1+500) पर Revised GAD के अनुसार 76 Mtr. Clear Span दर्शायी गयी है जिसमें आगरा नहर की बाँधी
पटरी पर 11 पीयर तथा दोयी पटरी पर 08 पीयर द्वारा 06 लेन मार्ग को जोड़ने हेतु एनओसी (Approval) की माँग की है, के
कम में NHAI द्वारा पुल निर्माण करने हेतु सहायक अभियन्ता(कार्य) के पत्रांक 401/सओकाओ/दिनांक 04.11.2022 द्वारा संस्तुति
सहित आख्या उपलब्ध करायी गयी है जिसके आधार पर जीओडी के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों के साथ एनओसी (GAD
Approval) प्रदान की जाती है-

1. उक्त पुल निर्माण प्रक्रिया में आगरा नहर के Hydraulic Structure में किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
2. NHAI द्वारा पुल निर्माण के समय आगरा नहर के जल प्रवाह में कोई अवरोध/रूकावट न हो।
3. पुल निर्माण के समय नहर की संरचना में होने वाली टूट-फूट की मरम्मत खण्ड के इंजीनियर्स की निगरानी में NHAI द्वारा
स्वयं के वित्तपोषण/खर्च से करायी जायेगी।
4. आगरा नहर के आन्तरिक भाग में किसी पीयर/स्थायी/पक्की संरचना का निर्माण नहीं किया जायेगा।
5. आगरा नहर की तली से ओवरब्रिज का निर्माण तली तथा ब्रिज के बॉटम के मध्य सिल्ट सफाई कराने हेतु मशीन संचालन के
दृष्टिगत पर्याप्त ऊँचाई रखी जाये।
6. आगरा नहर की बाँधी पटरी पर निर्मित मैटल्ड सर्विस रोड पर किसी पीयर/पक्की/स्थायी संरचना का निर्माण न किया जाये।
7. पुल निर्माण के उपरान्त आगरा नहर के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में आन्तरिक अनुभाग के साइट स्लोप में Stone Pitching
का कार्य खण्ड के इंजीनियर्स की निगरानी में NHAI द्वारा स्वयं के वित्तपोषण/खर्च से कराना होगा।
8. पुल निर्माण के दौरान सिंचाई विभाग की भूमि में किसी भी संस्था की गैस लाइन/विद्युत लाइन/पाइप लाइन आदि आने पर
उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित विभाग से अनापत्ती NHAI द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेगी तथा इसकी सूचना तत्काल इस कार्यालय
को दी जायेगी।
9. पुल निर्माण के दौरान उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 1922/सी-3/21-2-सि-3-2021, दिनांक 06.12.2021 की शत-प्रतिशत
अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
10. पुल निर्माणोपरान्त अवशेष भूमि पर मालिकाना हक सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश का ही रहेगा।

उपरोक्त शर्तों के अधीन पुल निर्माण की अनुमति एवं स्वीकृति उच्चाधिकारियों एवं शासन से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना
से आच्छादित रहेगी।

पत्रांक:- / हेडवर्क्स / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अधीक्षण अभियन्ता, तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य, आगरा
2. उपराजस्व अधिकारी, हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला, नई दिल्ली।
3. सहायक अभियन्ता(कार्य), हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला को पत्रांक 401/सओकाओ/दिनांक 04.11.2022 के कम में।

अधिशाली अभियन्ता
हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला, नई दिल्ली-25
04/11/2022

अधिशाली अभियन्ता
हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली